



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या 18253 वर्ष 2025

प्रशांत कुमार मलिक

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : विपुल राज गौतम

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : आत्मा प्रकाश त्रिपाठी, अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल राज गौतम और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आत्मा प्रकाश त्रिपाठी को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 11.08.2004 को पुलिसकर्मी (सामान्य इयूटी) के पद पर नियुक्त किया गया था। उसे वर्ष 2014 में हेड कॉन्स्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने, तथापि, प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के छोटे पुत्र की पत्नी ने दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएँ 85, 115(2), 89, 82(1) के अंतर्गत प्राथमिकी, मुकदमा अपराध संख्या 275 वर्ष 2025 दर्ज कराई है। याचिकाकर्ता उक्त मामले में सूचनाकर्ता का निकट संबंधी है। केवल प्राथमिकी दर्ज होने के कारण पदोन्नति का अधिकार छिनना न्यायसंगत नहीं होगा, क्योंकि यह स्थिति प्रथम नियुक्ति और चयन से संबंधित नहीं है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निवारण प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. प्रस्तुत दलीलों के परिप्रेक्ष्य में, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है और याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के साथ समग्र प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 2 पर पेश किया जाएगा, जो उक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने पर कानून के अनुसार तीन महीनों के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 पाए कि याचिकाकर्ता के दावे का निवारण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, तो संबंधित प्राधिकारी को उचित सूचना देने के पश्चात दस्तावेज भेजे जाएंगे।

5. आज दायर निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

19 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।